

संचालकालय पशुपालन
कामधेनु भवन वैशालीनगर भोपाल

कमांक 13966 /स्था-ब/स.प.चि.क्षे.अ.भर्ती/2018-19/ भोपाल, दिनांक : 27/9/ 2018
//आदेश//

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित उम्मीदवारों को कॉलम 4 मे दर्शयी श्रेणी के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2107 के वेतन मेडिक्स परिशिष्ट-1के लेवल 6 के प्रारम्भिक वेतन रूपये 25300/- (छटवां वेतनमान वेतन बैंड रू. 5200-20200+2400 ग्रेड पे) में अस्थाई रूप से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कालम (6) में उल्लेखित स्थान पर आदेश मे वर्णित सेवा शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

क.	आवेदक का नाम	पिता/ पति का नाम	श्रेणी	गृह जिला	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	मनीष कुमार जाटव	नाथूराम	अनु. जाति	दतिया	पशु चिकित्सालय सातई जिला गुना
2.	पल्लवी रहंगडाले	रतन रहंगडाले	अ.पि.वर्ग	बालाघाट	पशु चिकित्सालय घंसौर जिला सिवनी
3.	भक्तराज सिंह	सूर्यपाल सिंह	अ.पि.वर्ग	रीवा	पशु औषधालय कुशाही जिला सिंगरोली
4.	कमल कुमार गुप्ता	राम मिलन गुप्ता	अनारक्षित	सतना	पशु औषधालय टीवरी जिला कटनी
5.	प्रतिक्षा पटेरिया	आनंद कुमार पटेरिया	अनारक्षित	पन्ना	पशु औषधालय बमीठा जिला छतरपुर
6.	प्रियंका पाण्डे	उमाकांत पाण्डे	अनारक्षित	जबलपुर	पशु चिकित्सालय गणेशपुर जिला कटनी
7.	खुशबू श्रीवास्तव	संतोष श्रीवास्तव	अनारक्षित	सिवनी	पशु औषधालय मनेरी जिला बालाघाट
8.	शिखा बोपचे	सुरेन्द्र कुमार	अनारक्षित	सिवनी	पशु औषधालय कंजई जिला बालाघाट
9.	कमलेश कुमार सिंगोरे	रेवा प्रसाद सिंगोरे	अनारक्षित	मण्डला	पशु औषधालय बंजारी जिला सिवनी
10.	विक्रम सिंह कुशवाहा	मुलायम सिंह कुशवाहा	अनारक्षित	शिवपुरी	पशु औषधालय खरिका जिला मुरैना
11.	अरविन्द कुमार दांगी	रामगोपाल दांगी	अनारक्षित	राजगढ	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र अशोकनगर
12.	अनुराग दुबे	सुरेश दुबे	अनारक्षित	मुरैना	पशु औषधालय वीरपुर जिला श्यौपुर
13.	संजय कुमार वर्मा	रामनाथ वर्मा	अनारक्षित	वाराणासी उ.प्र.	पशु औषधालय धनोरा जिला सागर
14.	देवेन्द्र शर्मा	कल्याण प्रसाद	अनारक्षित	भिण्ड	पशु औषधालय धुगसी जिला दतिया

15.	प्रभात सिंह परिहार	नारायण सिंह परिहार	अनारक्षित	सतना	पशु चिकित्सालय हिचोरी जिला सीधी
16.	योगेन्द्र सिंह	रमेश सिंह	अनारक्षित	दतिया	पशु चिकित्सालय अरदोनी जिला मुरैना
17.	वीरेन्द्र कुमार गंगवार	शिवशंकर गंगवार	अनारक्षित	शिवपुरी	संभागीय पशु चिकित्सालय स्नेहलतागंज जिला इन्दौर
18.	संजय सिंह	जितेन्द्र सिंह	अनारक्षित	ग्वालियर	पशु औषधालय बिछोदना जिला दतिया
19.	प्रकाश तिवारी	रामभोर तिवारी	अनारक्षित	सीधी	पशु औषधालय चरघोडा जिला सिंगरोली
20.	मुकेश कुमार निगम	प्रमोद कुमार निगम	अनारक्षित	सीधी	पशु औषधालय भरजुना जिला सतना

सेवा शर्तें

1. आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. नियुक्त किये गये उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिले के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4 दिनांक 13/4/2005 एवं प्रमुख सचिव वित्त का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार राज्यशासन के अधीन 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना है, का पालन किया जाय।
4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन भत्तों के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भूराजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
6. संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ की ओर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी के प्रमाण-पत्रों की पुष्टि कर इस कार्यालय को सूचित करें।
7. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षण संबंधी आदेशों में उल्लेखित नियमों का पालन किया गया है।
8. परीक्षा अवधि में सतोषजनक कार्य सम्पादन करने पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत वेतनमान में रुपये 25300-80500 नियमानुसार नियमित किया जावेगा।



9. उपरोक्त नियुक्तिया माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में दायर याचिका क्रमांक 5318/2018 के निर्णय के अधीन है।
10. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में दिये गये निर्देशानुसार निर्णय होने तक याचिकाकर्ता हेतु पद रिक्त रखे गये है।
11. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता पी.ई.बी.द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित एवं संचालनालय को उपलब्ध कराई गई सूची में प्राप्त अंको के आधार पर निर्धारित होगी।

(डॉ.आर.के.रोकडे)

संचालक,
पशुपालन मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक 13967 /स्था-ब/स.प.चि.क्षे.अ.भर्ती/2018-19/ भोपाल, दिनांक : 27/9/ 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. संबंधित कलेक्टर जिला म.प्र.
3. संबंधित संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें मध्य प्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तांकित सेवा शर्तों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपने जिले के जिला कोषालय अधिकारी एवं संचालक कोष एवं लेखा को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजते हुए संचालनालय को अवगत कराये।
4. उप संचालक स्थापना ब संचालनालय भोपाल।
5. अधीक्षक स्थापना ब संचालनालय
6. श्री /सुश्री

संचालक,

पशुपालन मध्यप्रदेश भोपाल